



राजस्थान-सरकार

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा करौली (राज0)

E-mail Id:- chiefdeokarauli@gmail.com & cdeo.karauli.dse@rajasthan.gov.in

क्रमांक— मु.जि.शि.अ./करौली/2026/983

दिनांक:— 29.08.2026

—:विज्ञप्ति:—

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अंतर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रैंफरैस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभागे के परिपत्र क्रमांक प.6(2) वित्त/सा विले नि/ 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर “विद्या संबल योजना” के प्रथम चरण के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गैस्ट फैंकल्टी के रूप में पूर्णतया अस्थायी रूप से लगाया जाना है । उक्त योजना के तहत लगाये जाने वाले शिक्षकों के पद ,योग्यताएँ/ शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी —

1. (विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताएँ) —

क्र.स.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम —2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोट:—

- गैस्ट फैंकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी ।
- विद्या संबल योजना के तहत गैस्ट फैंकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त /निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे ।
- सेवानिवृत्त शिक्षक गैस्ट फैंकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे , बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो ।
- सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैंकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे ।
- भाषा विषय को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गैस्ट फैंकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी ।

(2) रिक्तियाँ:—

विद्या संबल योजना योजना के अंतर्गत गैस्ट फैंकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा ।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन:-

विद्यालय वार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन /अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड ,क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान ,जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट <https://education.rajasthan.gov.in> पर किया जायेगा।

(4) आवेदन की प्रक्रिया :-

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक /निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों , निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र ,समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय -सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः उपस्थित हो कर प्रस्तुत करेंगे।

(5) वरीयता का निर्धारण :-

विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैंकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के उपरान्त विद्यालय वार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य /पीईईओ द्वारा किया जाएगा । वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।

सेवानिवृत्त कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत्त कार्मिक का उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता कम में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा । गेस्ट फैंकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करना:-

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी-

क्र.स.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय समिति परिवेदना समिति अपनी अनुशंसा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित /अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित /अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) विद्या संबल योजना के तहत मानेदय:-

विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैंकल्टी को पदवार प्रति घण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा-

क्र.स.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
1	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रु.	30000 रु.

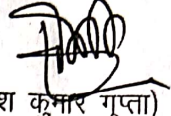
(8) अन्य शर्तें—

- चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैंकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य /पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।
- निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरियता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैंकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
- गेस्ट फैंकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतया अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा।
- उक्त सेवाएं चूंकि गेस्ट फैंकल्टी के रूप में पूर्णतया अस्थायी तौर पर ली जा रही हैं अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैंकल्टी के तहत दी गई सेवाएं भविष्य में चयनित पद के लिए स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।
- गेस्ट फैंकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों /सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा-निर्देशों के अधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित हैं।
- गेस्ट फैंकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संबंधित प्राचार्य /पीईईओ द्वारा किया जाएगा। न्यून कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य /पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैंकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(8) कार्यक्रम एवं समय सारणी :- (नगरीय निकाय क्षेत्र के विद्यालयों को छोड़कर)

क्र.स.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	31.08.2026
2.	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	01.09.2026 (प्रातः 10:30 बजे तक)
3.	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 (प्रातः 10:30 बजे से) – 07.09.2026 (दोपहर 01:00 बजे तक)
4.	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सांय 04:00 बजे तक)
5.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थायी) तैयार कर जारी करना एवं अस्थायी वरीयता सूची में आपतियाँ मॉगना।	09.09.2026 से 10.09.2026 (दोपहर 02:00 बजे तक)
6.	अभ्यर्थियों की आपतियों के निस्तारण पश्चात अंतिम एवं स्थायी वरीयता सूची जारी कर, स्थायी वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 03-03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	14.09.2026 (सांय 06:00 बजे तक)
7.	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	15.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	16.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9.	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन- सूची अनुमोदन तिथि	17.09.2026 (सांय 05:00 बजे तक)
10.	आदेश जारी करना	18.09.2026 (रात्रि 11:59 बजे तक)

संलग्न:- आवेदन पत्र का प्रारूप


(सर्वेश कुमार गुप्ता)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, करौली
दिनांक:- 28.08.2026

क्रमांक- मु.जि.शि.अ./करौली/2026/983

प्रतिलिपि-

1. विशिष्ट सहायक ,माननीय शिक्ष मंत्री ,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव ,अतिरिक्त मुख्य सचिव ,स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग , राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय करौली ।
4. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त , राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
5. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
6. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण /कार्मिक) राजस्थान बीकानेर।
8. श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय स्कूल शिक्षा विभाग भरतपुर ।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक करौली ।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला करौली।
11. समस्त पीईईओ /प्राचार्य जिला करौली
12. रक्षित पत्रावली।


मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, करौली

आवेदन का प्रारूप

1. आवेदक का नाम:-
2. पिता का नाम:-
3. आवेदित विद्यालय का नाम:-
4. आवेदित पद का नाम मय विषय:-
5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि:-
6. जन्म तिथि:-
7. शैक्षणिक योग्यता:-

1. माध्यमिक	वर्ष-----	प्रतिशत-----	संलग्न-1
2. उच्च माध्यमिक	वर्ष-----	प्रतिशत-----	संलग्न-2
3. स्नातक	वर्ष-----	प्रतिशत-----	संलग्न-3
4. अधिस्नातक	वर्ष-----	प्रतिशत-----	संलग्न-4
8. प्रशैक्षणिक योग्यता

1. बी.एड./समकक्ष	वर्ष-----	प्रतिशत-----	संलग्न-5
2. डी.एल.एड./समकक्ष	वर्ष-----	प्रतिशत-----	संलग्न-6
9. वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)- रीट,उत्तीर्णता वर्ष-----प्रतिशत-----संलग्न-7
10. निवास का पता:-

1. स्थाई-----	
2.वर्तमान-----	
11. मोबाईल नम्बर:-----
12. जाति वर्ग-----प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न-8
13. अन्य (विकलांग/भू.पू.सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/स्पोर्ट्स पर्सन) संलग्न-9
14. आधार कार्ड की प्रति। संलग्न-10
15. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न-11
16. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त) संलग्न-12 व 13
17. सेवानिवृत्त कार्मिक है तो PPO व सेवानिवृत्ति आदेश मय विषय संलग्न-14
18. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि-चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फौकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फौकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।



आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची-संलग्नक 1 से 13 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) एवं वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प. 6(2) वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर